न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी श्री बृजेन्द्र मीना, आर.ए.एस.

मु.न.	तारीख रजु	तारीख निर्णय
44/2024	30/12/2024	20.4.26

दढो पत्नि सम्पत सिंह जाति गुर्जर निवासी ढाय तहसील तलावडा।

--वादीया--

बनाम

1. कजोडी पुत्री किशनलाल
2. कमल पुत्र किशनलाल
3. रामप्रसाद पुत्र किशनलाल
4 लड्डू पुत्र किशनलाल
5. धारासिंह पुत्र छोटू
6. रामकेश पुत्र छोटू
7. रामदयाल पुत्र छोटू
8. हेमराज पुत्र छोटू
9. हरिमोहन पुत्र छोटू

जाति गूर्जर निवासी ढाय तहसील तलावडा

10. लेण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील तलावडा ।
11. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा गंगापुर सिटी

--प्रतिवादीगण--

दावा बाबत विभाजन भूमि, घोषणा खातेदारी

इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः- श्री सतीश कुमार शर्मा एडवोकेट वादीया की ओर से

निर्णय

वादीया ने वाद पत्र इस आशय का पेश किया है कि आराजी हाल ख0नं0 45 रकबा 0.80 हेक्टर, ख0नं046 रकबा 0.73 हेक्टर, कुल रकबा 1.53 हेक्टर वाके ग्राम ढाय तहसील तलावडा की खातेदारी वादीया व प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 10 के नाम संयुक्त रूप से दर्ज हैं। एंव भूमि के खातेदार ओमप्रकाश पुत्र छोटू के नाम भूमि में 1/12 हिस्सा तथा खातेदार लिछमा पनि स्व0 किशनलाल के नाम भूमि में 1/10 हिस्सा दर्ज हैं उक्त

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स0मा0)

दोनो खातेदार ओम प्रकाश व लिछमा फौत हो चुके हैं। जिसमें मृतक खातेदार लिछमा के वारिस प्रतिवादी सं0 1 लगायत 5 व मृतक खातेदार ओम प्रकाश के वारिस प्रतिवादी सं0 6 लगायत 10 हैं उक्त सभी प्रतिवादीगण मृतको के हिस्से में दर्ज हिस्से में समान रूप से उनके वारिसान होने के नाते स्वंय को हिस्सा बराबर के खातेदार घोषित कराने के अधिकारी हैं। विवादित भूमि वर्णित मद नं0 1 में वादीया का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 4 प्रत्येक का 1/10-1/10 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 6 लगायत 10 का प्रत्येक का हिस्सा 1/12-1/12 हैं। मृतक खातेदार लिछमा के हिस्से 1/10 में से प्रतिवादी सं0 1 लगायत 5 प्रत्येक का 1/50-1/50 हिस्सा हैं तथा मृतक खातेदार ओम प्रकाश के हिस्से 1/12 में प्रतिवादी सं0 6 लगायत 10 प्रत्येक का 1/60-1/60 हिस्सा हैं तथा इसी अनुसार प्रतिवादीगण को मृतक खातेदारो के हिस्से में दर्ज भूमि में खातेदार घोषित फरमाया जाकर समस्त राजस्व रिकोर्ड में दुरूस्ती की जावें। वर्णित भूमि रिकोर्ड में शामलाती भूमि हैं जिस पर कब्जे को लेकर आये दिन विवाद चलता रहता हैं। दिनाक 20-10-2024 को वादीया जब अपने हिस्से की भूमि पर जोत लगवा रही थी तो प्रतिवादीगण मौके पर आये तथा वादीया को धमकी देकर कहने लगे कि हम तुम्हें बिना रिकोर्ड में विभाजन भूमि काश्त नहीं करने देगें, जिस पर वादीया ने कहा कि हम अपनी भूमि को लगातार संयुक्त रूप से हिस्से अनुसार काश्त करते चले आ रहे हैं फिर आज इस बात को लेकर क्या आपत्ति हैं। इस पर प्रतिवादीगण ने धमकी देकरे कहा कि अब हम रिकोर्ड में बिना विभाजन के तुम्हें काश्त नहीं करने देगें। भूमि के खातेदार ओम प्रकाश व लिछमा फौत हो चुके हैं, इसलिये भूमि का जब तक बंटवारा नही हो जाता तब तक तुम भूमि से दूर रहो, इस पर वादीया ने कहा कि ऐसा क्यो करते हो, जब तक भूमि का विभाजन नही हो जाता तब तक भूमि के प्रत्येक इंच रकवे पर मेरा भी कब्जा काश्त हैं इस पर प्रतिवादीगण ने धमकी देकर कहा कि हम देखते हैं तुम भूमि कैसे काश्त करते हो। इसलिये वादीया को यह दावा बाबत विभाजन भूमि घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ। दिनांक 20-10-2024 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीया को अपने हिस्से की भूमि पर जोत लगाने से इन्कार करने तथा भूमि में बिना विभाजन प्रवेश करने से इन्कार करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ। लैण्ड होल्डर आवश्यक

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
... सिटी (स०मा०)

पक्षकार मुकदमा हैं। तथा प्रतिवादी सं0 12 के यहां भूमि रहन होने की कारण उसे पक्षकार बनाया गया हैं। भूमि हाल ख0नं0 45 रकबा 0.80 हेक्टर, ख0नं0 46 रकबा 0.73 हेक्टर, कुल रकबा 1.53 हेक्टर वाके ग्राम ढाय तहसील तलावडा में मृतक खातेदार ओमप्रकाश पुत्र छोटू के हिस्से 1/12 में से प्रतिवादीगण 6 लगायत 10 को हिस्सा बराबर एंव मृतक खातेदार लिछ्मा पत्नि स्व0 किशनलाल के हिस्से 1/10 में से प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 को हिस्सा बराबर का खातेदार घोषित फरमाया जावे। तथा इसी अनुसार राजस्व रिकोर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती की जावें एवं विवादित भूमि का विभाजन मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर किया जाकर वादीया के हिस्से 1/6 का खाता पृथक से कायम किया जावे आवश्यकता हो तो पृथक से खसरा नम्बर कायम किया जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया प्रतिवादीगण बावजूद सूचना हाजिर अदालत उपस्थित नही होने इसलिये प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई।

वादपत्र पत्र के समर्थन मे वादीया ने जमाबन्दी सवत् 2073–2076 खाता संख्या 145 एवं नकल नक्सा ट्रेस ग्राम ढाय प्रस्तुत किये।

वादीया का दावा तहसीलदार तलावडा से विभाजन स्कीम मंगवाये जाने हेतु दिनांक 05/01/2026 को प्राथमिक डिक्री किया गया। तहसीलदार तलावडा से दिनांक 30/03/2026 को विभाजन निम्न अनुसार प्राप्त हुई :-

1. दडो पत्नि सम्पत सिंह खसरा नम्बर 45 रकबा 0.2500 है0 किस्म बारानी 2 जाति गुर्जर हिस्सा पूर्ण सा0देह0 खातेदार
2. ओमप्रकाश पुत्र छोटू हिस्सा 1/10 राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया गंगापुर सिटी, धारासिंह, रामकेश, रामदयाल, हेमराज, हरिमोहन पुत्रान छोटू हिस्सा 1/2 कमल पुत्र किशनलाल हिस्सा 3/25, लिछमा पत्नि किशनलाल हिस्सा 3/25, रामप्रसाद पुत्र किशनलाल हिस्सा 3/25, कजोडी पुत्री किशनलाल हिस्सा 3/25 खसरा नम्बर 45 रकबा 0..5450 है0 किस्म बारानी ए, खसरा नम्बर 46 रकबा 0.7300 है0, किस्म बारानी ए कुल किता 2 कुल रकबा 1.2750 है0 जातियान गुर्जर सा0देह0 खातेदार प्रस्तुत की है।

बहस विद्वान अधिवक्ता विभाजन स्कीम पर सुनी गई। वकील वादीया द्वारा तहसीलदार तलावडा से प्राप्त विभाजन स्कीम अनुसार वादीया का हिस्सा विभाजित किया जाकर वादीया का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

गया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं उसमे प्रस्तुत विभाजन स्कीम का अवलोकन किया गया। चूंकि दावा विभाजन का है एवं वादीया विभाजन स्कीम अनुसार विभाजन करवाये जाने पर सहमत है। इसलिय वादीया का दावा मुताबिक विभाजन स्कीम अनुसार डिक्री किया जाना प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीया का दावा डिक्री किया जाकर तहसीलदार तलावडा को आदेशित किया जाता है किः-

1. दडो पत्नि सम्पत सिंह खसरा नम्बर 45 रकबा 0.2500 है0 किस्म बारानी 2 जाति गुर्जर हिस्सा पूर्ण सा0देह0 खातेदार के नाम दर्ज की जावे।
2. ओमप्रकाश पुत्र छोटू हिस्सा 1/10 राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया गंगापुर सिटी, धारासिंह, रामकेश, रामदयाल, हेमराज, हरिमोहन पुत्रान छोटू हिस्सा 1/2 कमल पुत्र किशनलाल हिस्सा 3/25, लिछमा पत्नि किशनलाल हिस्सा 3/25, रामप्रसाद पुत्र किशनलाल हिस्सा 3/25, कजोडी पुत्री किशनलाल हिस्सा 3/25 खसरा नम्बर 45 रकबा 0..5450 है0 किस्म बारानी ए, खसरा नम्बर 46 रकबा 0.7300 है0, किस्म बारानी ए कुल किता 2 कुल रकबा 1.2750 है0 जातियान गुर्जर सा0देह0 खातेदार के नाम दर्ज की जावे। इसी अनुसार समस्त राजस्व रिकॉर्ड मे इन्द्राज किया जावे। विभाजन स्कीम निर्णय तक जूज रहेगी पर्चा डिक्री पृथक से जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.4.2८ को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(बृजेन्द्र मीना)
सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी